न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः—श्री बी0एल0मेहरड़ा, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—70 / 2019 / 223 (2019 / 00070)

1. मदनलाल पुत्र रामदयाल,
2. श्रीमती इन्द्रादेवी पत्नि मदनलाल,
   समस्त जाति ब्राहमण, नि0 ग्राम पीपलाज, तह0 सावर, जिला अजमेर ।

अपीलांटस

बनाम

1. ओमप्रकाश पुत्र भैरूलाल,
2. सुरेश कुमार पुत्र भैरूलाल,
3. पुष्पादेवी पुत्री भैरूलाल,
4. चन्द्रकान्ता पुत्री भैरूलाल,
5. कैलाश पुत्र भैरूलाल,
   समस्त जाति ब्राहमण, नि0 ग्राम पीपलाज, तह0 सावर, जिला अजमेर ।

रेस्पोडेंटस

अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध विरूद्ध निर्णय एवं डिक्री विद्वान उपखण्ड अधिकारी, केकड़ी दिनांक 18.6.2016 अंतर्गत वाद संख्या 214 / 2014.

उपस्थितः—

1. श्री मदनलाल गुर्जर, वकील अपीलांटस।
2. श्री हेमराज गुप्ता, वकील रेस्पो0 संख्या 1 से 4.
3. रेस्पो0 संख्या 5 अनुपस्थित ।

निर्णय

दिनांकः— 29.01.2020

1. यह अपील विद्वान उपखण्ड अधिकारी, केकड़ी के निर्णय एवं डिक्री दिनांक 18.6.2016 के विरूद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है ।
2. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि वादी / रेस्पो0 ने अधी0न्याया0 के समक्ष राजस्व वाद अंतर्गत धारा 188 राज0काश्त0अधि0 1955 के तहत वादपत्र में वर्णित आराजी खाता संख्या 94—413 खसरा नंबर 201 रकबा 0.24 है0, खाता संख्या 861 खसरा नंबर 204 रकबा 0.32 है0,, खसरा नंबर 2859 / 1720 रकबा 0.69 है0, खसरा नंबर 2860 / 1720 रकबा 0.37 है0, खसरा नंबर 2861 / 1757 रकबा 0.43 है0 भूमि स्थित ग्राम पीपलाज, तह0 केकड़ी के बाबत् प्रस्तुत कर निवेदन किया कि विवादित आराजियात वादीगण व प्रतिवादी संख्या 3 के संयुक्त कब्जे काश्त खातेदारी की आराजियात है जो वादीगण व प्रतिवादी संख्या 3 के संयुक्त कब्जे काश्त में चली आ रही है । प्रतिवादीगण वादीगण की उक्त

आराजियात के पडौसी होने से वादीगण की उक्त आराजियात पर जबरन लकड़ी के बल कब्जा करना चाहते है तथा लड़ाई झगड़ा कर कब्जे काश्त में बाधा उत्पन्न करने पर उतारू है । इस कारण वादीगण को यह वाद प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ है । अतः वाद वादीगण स्वीकार कर वाद डिक्री किया जावे । विद्वान उपखण्ड अधिकारी, केकड़ी ने अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 18.6.2016 को वादीगण/रेस्पो0 का वाद डिक्री कर दिया । अधी0न्याया0 के इस निर्णय व डिक्री से असंतुष्ट होकर अपीलांटस ने यह अपील इस न्यायालय में पेश की है।

3. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को तलब किया गया । रेस्पो0 के उपस्थित होने तथा अधी0न्याया0 का रिकार्ड प्राप्त होने के उपरांत प्रकरण में विद्वान उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई ।

4. विद्वान वकील अपीलांटस ने बहस में अपीलमीमों में उल्लेखित तथ्यों की ताईद करते हुए कथन किया कि विद्वान अधी0न्याया0 का निर्णय न्याय, नियम एवं रिकार्ड के विपरीत होने से निरस्तनीय है । अधी0न्याया0 ने अपीलांटस को बिना विधिवत् नोटिस दिये एवं सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना ही प्रकरण को लोक अदालत में नियत कर सरसरी तौर पर एक तरफा में अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की है जो न्याय के सहज एवं प्राकृतिक सिद्धांतों के विपरीत होने से निरस्तनीय है । अधी0न्याया0 के समक्ष वादी/रेस्पो0 का वाद तलबी और जवाबदावा में दिनांक 17.12.2018 से 11.4.2016 तक विचाराधीन था लेकिन दिनांक 23.5.2016 को अधी0न्याया0 ने प्रकरण को लोक अदालत में दोनों पक्षों की सहमति के आधार नियत कर दिया जिसकी सूचना एवं नोटिस अपीलांटस को जारी नहीं किये गये । इसके उपरांत दिनांक 18.6.2016 को वादी/रेस्पो0 का वाद बिना अपीलांटस व रेस्पो0 की उपस्थिति में वाद डिक्री कर दिया जो निरस्तनीय है । विद्वान वकील अपीलांटस ने बहस को आगे बढ़ाते हुए कथन किया कि अधी0न्याया0 के समक्ष वादी द्वारा जो वाद पेश किया गया जिसमें विवादित भूमि के खातेदार अपीलांट/प्रतिवादी भी थे ऐसी स्थिति में उक्त आराजियात का अपीलांटस खातेदार होने से वादी/रेस्पो0 अपीलांट/प्रतिवादी के विरूद्ध स्थायी निषेधाज्ञा का वाद नहीं ला सकता है क्योंकि अपीलांटस भी विवादित आराजियात के प्रत्येक इंच पर हिस्सेदार होने से स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद नहीं किया जा सकता था । विद्वान अधी0न्याया0 ने इस तथ्य को नजरअंदाज कर अपीलाधीन निर्णय पारित करने में विधिक त्रुटि कारित की है । अपीलांटस विवादित आराजियात का संयुक्त खातेदार होकर मौके पर काबिज काश्त है जब तक विवादित आराजियात का विधिक बंटवारा नहीं हो जाता है तब तक वादी किसी भी प्रकार का अनुतोष अपीलांटस के विरूद्ध प्राप्त नही कर सकता था । अधी0न्याया0 द्वारा पारित निर्णय लोक अदालत की मंशा के विपरीत होने से निरस्त किया जावे । अतः अपील अपीलांटस स्वीकार कर अधी0न्याया0 का निर्णय व डिक्री निरस्त की जावे ।

5. विद्वान वकील अपीलांटस ने अपील के साथ प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि0 पेश कर निवेदन किया कि अधी0न्याया0 ने अपीलांट को बिना विधिवत् नोटिस दिये एवं सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना ही एकतरफा में निर्णय व डिक्री दिनांक 18.6.20146 को पारित की है जिससे अपीलांटस को अपीलाधीन निर्णय व डिक्री की तत्समय जानकारी नहीं हो सकी थी । निर्णय व डिक्री की सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 11.2.2019 को तब हुई जब पटवारी हल्का ने अपीलांटस को बताया कि प्रकरण का निस्तारण उनके विरूद्ध हो गया है इस पर अपीलांट ने दिनांक 12.2.20198 को केकड़ी जाकर निर्णय की पुष्टि की तत्पश्चात् अपीलाधीन निर्णय व डिक्री की प्रमाणित प्रति हेतु आवेदन पेश किया जिस पर दिनांक 14.2.2019 को प्रमाणित प्रतियां प्राप्त होने पर अधिवक्ता से संपर्क

कर जानकारी से अंदर मियाद यह अपील पेश की है । अपील में हुआ विलंब उचित एवं सद्भाविक है । अतः विलंब माफ किया जाकर अपील अंदर मियाद शुमार की जावे ।

6. विद्वान वकील रेस्पो0 संख्या 1 से 4 ने बहस में निवेदन किया कि विद्वान अधी0न्याया0 का निर्णय व डिक्री विधिसम्मत् है । विवादित आराजियात रेस्पो0 संख्या 1 से 4 एवं रेस्पो0 संख्या 5 की संयुक्त खातेदारी की आराजियात है । विवादित आराजियात से अपीलांटस का कोई संबंध नहीं है । अपीलांटस द्वारा बिना किसी अधिकार के खातेदार की आराजियात में हस्तक्षेप किये जाने पर खातेदार स्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष प्राप्त करने के अधिकारी है । विद्वान अधी0न्याया0 ने पक्षकारान की सहमति से प्रकरण को लोक अदालत में रखकर निर्णित किया है जो विधिसम्मत् निर्णय है । अतः अपील अपीलांटस निरस्त की जावे ।

7. हमनें उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया । हम सर्वप्रथम अपीलांटस द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि0 का निस्तारण करना उचित समझते है । अपीलांटस ने अपने प्रार्थना पत्र में विलंब के जो कारण अंकित किये है वे उचित प्रतीत होते है । हम न्यायहित में अपीलांटस को सुना जाना उचित समझते है । अतः अपील में हुआ विलंब न्यायहित में क्षम्य किया जाकर अपील अंदर मियाद शुमार की जाती है।

8. प्रकरण में गुणावगुण पर पत्रावली का अवलोकन किया गया । अपीलांटस का मुख्य कथन है कि अधी0न्याया0 ने प्रकरण को लोक अदालत में रखने के संबंध में अपीलांटस को नोटिस जारी नहीं किया तथा एकतरफा में वाद को निर्णित किया है । इस संबंध में पत्रावली का अवलोकन किया गया । वादीगण/रेस्पो0 द्वारा अधी0न्याया0 के समक्ष वाद प्रस्तुत किये जाने पर अधी0न्याया0 ने दिनांक 28.10.2014 को वाद दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण/अपीलांटस को जरिये सम्मन तलब किया जिस पर प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 ने अधी0न्याया0 में जरिये अधिवक्ता उपस्थिति दी । इसके उपरांत पत्रावली प्रतिवादी संख्या 3 की तलबी एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के जवाब में विचाराधीन रही । वाद पत्रावली प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के जवाब एवं प्रतिवादी संख्या 3 की तलबी के विचाराधीन रहते अधी0न्याया0 ने वाद को दिनांक 23.5.2016 को लोक अदालत दिनांक 18.6.2016 को नियत की है किन्तु पत्रावली को लोक अदालत में रखे जाने के संबधं में अधी0न्याया0 द्वारा प्रतिवादीगण/अपीलांटस को लोक अदालत में प्रकरण रखे जाने के संबंध में कोई नोटिस जारी किया जाना अधी0न्याया0 की पत्रावली से प्रकट नहीं होता है । हम विद्वान अधिवक्ता अपीलांटस के इस कथन से भी सहमत है कि लोक अदालत में केवल वे ही प्रकरण रखे जा सकते है जिन प्रकरणों में पक्षकारान में आपसी सहमति से राजीनामा या समझौता हो परन्तु हस्तगत प्रकरण में पक्षकारान के मध्य किसी प्रकार का राजीनामा/समझौता होने संबंधी कोई दस्तावेजात पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है जिससे स्पष्ट है कि अधी0न्याया0 ने लोक अदालत की मंशा के विपरीत प्रकरण को लोक अदालत में रखकर अपीलांट को साक्ष्य एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किये बिना वाद को निर्णित किया है जिसे विधिसम्मत् नहीं माना जा सकता है । पक्षकारान के मध्य समझौता/राजीनामा नहीं होने की स्थिति में अधी0न्याया0 को प्रतिवादीगण से जवाबदावा प्राप्त कर साक्ष्य, सबूत एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर वाद को गुणावगुण पर निर्णित करना चाहिये था किन्तु अधी0न्याया0 द्वारा बिना विधिक प्रक्रिया अपनाये वाद को एकतरफा में निर्णित किया है जिसे विधिसम्मत् नहीं माना जा सकता है । उपरोक्त विवेचन के क्रम में अपील अपीलांटस आंशिक रूप से स्वीकार योग्य तथा अधी0न्याया0 द्वारा पारित निर्णय व

डिक्री निरस्त योग्य होकर प्रकरण अधी0न्याया0 को प्रतिप्रेषित किये जाने योग्य पाया जाता है ।

9. अतः अपील अपीलांटस आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । विद्वान उपखण्ड अधिकारी, केकड़ी द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 18.6.2016 को निरस्त किया जाता है तथा पत्रावली अधी0न्याया0 को प्रतिप्रेषित कर निर्देश दिये जाते है कि अपीलांटस/प्रतिवादीगण से जवाबदावा प्राप्त कर साक्ष्य, सबूत एंव सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर वाद को गुणावगुण पर आवश्यक रूप से तीन माह में निर्णित करे । पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो ।

(बी0एल0मेहरड़ा)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

10. निर्णय आज दिनांक 29.01.2020 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(बी0एल0मेहरड़ा)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर